सं.24/245/2014-पब्लिक
गृह मंत्रालय
भारत सरकार
****

नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली
दिनांक 9 जुलाई, 2014

सेवा में,

श्री रजनीश सिंघल,
पुत्र- श्री सुरेश कुमार सिंघल,
बी-III, पांडव नगर,
मदर डेयरी के सामने,
दिल्ली- 110092

विषय- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई जानकारी ।

कृपया आप अपने उपरोक्त विषयक पत्र दिनांक 13.06.2014 जो कि इस मंत्रालय के पब्लिक अनुभाग में इस मंत्रालय के आर.टी.आई. अनुभाग से दिनांक 03.07.2014 को आवेदन पत्र के बिन्दुओं 3, 8 एवं 9 में सूचना प्रदान करने के लिए प्राप्त हुआ है, का सन्दर्भ ग्रहण करें । आपका उक्त आवेदन पत्र इस मंत्रालय में अंतरण द्वारा लोक सभा सचिवालय से प्राप्त हुआ था। आपके द्वारा उक्त बिन्दुओं में वांछित सूचना के संबंध में अवगत कराया जाता है कि भारत के राज्य संप्रतीक का डिजाइन भारत सरकार द्वारा 1947 में स्वीकृत किया गया था और सिंह स्तंभ शीर्ष के पार्श्व चित्र के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा आदर्श वाक्य " सत्यमेव जयते " बाद में 1949 में भारत के राज्य संप्रतीक के भाग के रूप में सम्मिलित किया गया था । एक प्रेस विज्ञप्ति द्वारा Crown को 26 जनवरी, 1950 से भारत के राज्य संप्रतीक द्वारा विस्थापित कर दिया गया था। भारत के राज्य संप्रतीक का प्रयोग भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम 2005 तथा भारत का राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियम) नियम 2007 {भारत का राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियम) संशोधन नियम 2010 के साथ पठनीय} द्वारा विनियमित होता है, जो कि इस मंत्रालय के वेबसाइट "www.mha.nic.in" पर जनसामान्य के अवलोकन के लिए उपलब्ध है।

2. भारत के राज्य संप्रतीक का विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयोग उक्त नियम के अनुसूची-I, अनुसूची-II तथा अनुसूची-III में विर्निदिष्ट कार्यालयों, प्राधिकारियों एवं प्रयोजनों तक निर्बंधित है। भारत के राज्य संप्रतीक का शासकीय या अर्ध-शासकीय लेखन सामाग्री पर प्रयोग उक्त नियम के अनुसूची-I में विर्निदिष्ट कार्यालयों एवं प्राधिकारियों तक निर्बंधित है। उक्त नियम के अनुसूची III [नियम 9 के साथ पठनीय], क्रम सं0 (i) के अनुसार " विधिसंगत प्रतिनिधित्व प्रयोजन के लिए अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट कृत्यकारियों या अधिकारियों के परिचय कार्ड (विजिटिंग कार्ड) पर भारत के राज्य संप्रतीक का प्रयोग किया जा सकता है "। उक्त नियम के अनुसूची III [नियम 9 के साथ पठनीय], क्रम सं0 (VIII) के अनुसार सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र पर भारत के राज्य संप्रतीक का प्रयोग किया जा सकता है । अनुसूची-I के प्रयोजन के लिए " अधिकारी " पद से कोई राजपत्रित अधिकारी अभिप्रेत है।

3. भारत के राज्य संप्रतीक का कारों/वाहनों पर प्रयोग उक्त नियम के अनुसूची II [नियम 7 के साथ पठनीय] में विर्निदिष्ट सांविधानिक प्राधिकारीगण और अन्य उच्चाधिकारीगण तक निर्बंधित है।

4. भारत का राज्य संप्रतीक का अनुचित प्रयोग उक्त अधिनियम की धारा 7 (धारा 3 एवं 4 के साथ पठनीय) के अनुसार दंडनीय अपराध है। भारत के राज्य संप्रतीक के अनुचित प्रयोग से संबंधित शिकायत कोई भी व्यक्ति अपने निकटतम पुलिस थाने में कर सकता है और संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र की कानून प्रवर्तन शाखा उक्त अधिनियम तथा नियम के अनुबंधों के अनुसार कार्यवाही करती है।

5. भारत के राज्य संप्रतीक के स्वीकार किए जाने से संबंधित दस्तावेज एवं उक्त वर्णित अधिनियम तथा नियम कुल 15 पृष्ठ के हैं, यदि आप इनकी प्रति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कुल ₹ 30/- (प्रति पृष्ठ ₹ 2/ की दर से) नकद भुगतान या बैंकर चैक/डिमांड ड्राफ्ट/भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में जो कि " लेखा अधिकारी, गृह मंत्रालय " के पक्ष में देय हो, इस मंत्रालय में जमा कराया जाना अपेक्षित है ताकि आपको उक्त दस्तावेजों की छायाप्रति उपलब्ध करायी जा सके ।

6. इस मामले मे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अन्तर्गत अपील, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी श्री सतपाल चौहान, संयुक्त सचिव (पशासन), गृह मंत्रालय, कमरा नं 194, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को 30 दिनों के समय में की जा सकती है।

(श्यामला मोहन)
निदेशक एवं केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी

प्रति, उपरोक्त वर्णित आवेदन पत्र दिनांक शून्य की एक प्रति के साथः अनुभाग अधिकारी (आई.टी. सेल), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक को इस मंत्रालय के बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

~~To be replied in Hindi~~

RTI MATTER/TIME BOUND

No.A-43020/ 01 /2014-RTI
Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya
*****

New Delhi, Dated the 1st July,2014.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Transfer of application of Shri Rajneesh Singhal under the Right to Information Act, 2005.

*****

This Ministry has received an application under the RTI Act. 2005 dated 13.06.2014 from Shri Rajneesh Singhal (received in this Ministry on 17.06.2014 by transferring from Lok Sabha Secretariat).

2. Since the requested information does not fall totally within the jurisdiction of MHA, the application is therefore, being transferred to Delhi Police and Police-II Division/Admn.-Division/DM-Division & PM-Division of this Ministry under sub- section(3) of Section 6 of RTI Act, 2005 for taking necessary action. It is requested that if the subject matter pertains to any other CPIOs/Public Authority, the application may be further transferred to that Authority directly, under intimation to the applicant.

3. Applicant has paid the requiste fee of Rs. 10/- in Lok Sabha Secretariat.

Encl: As above.

(V.K. Rajan)
Dy. Secretary (E) & CPIO

To

Commissioner of Police (point no. 6 & 7)
Delhi Police,
Delhi Police Headquarter,
I.P. Estate, New Delhi

Copy forwarded for similar action to :

(i) Director (Pers), Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi. (point no. 2 & 4)

(ii) Director (Pers-I), Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi. (point no. 2 & 4)

(iii) Director (A&V), Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi. (point no. 3, 8 & 9)

(iv) Director (DM-I), Ministry of Home Affairs, NDCC-II, Jai Singh Road, New Delhi. (point no. 4)

(v) Director (PMR), Ministry of Home Affairs, 26, Jaisalmer House, Man Singh Road, New Delhi. (point no. 1 & 5)

Copy for information to:

Shri Rajneesh Singhal S/o Shri Suresh Kumar Singhal, R/o B-111, Pandav Nagar, Opposite Mother Dairy, Delhi – 110092.